न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/10

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लालजी निवासी शिवपुर, मल्हीपुर, सुल्तानपुर, उत्तरप्रदेश (विक्रेता/मालिक) मैसर्स महादेव मिष्ठान एण्ड डेयरी, पाटीदार मोहल्ला रतनपुर, आंजना तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा मो.नं. 8824483062

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी	श्री ओम प्रकाश

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशीकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 17–01–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 19–10–2022 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स महादेव मिष्ठान एण्ड डेयरी, पाटीदार मोहल्ला रतनपुर, आंजना तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लालजी उपस्थित था। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में मावा 20 किलोग्राम एक थाल में आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब मावा 20 किलोग्राम मे से 1 किलोग्राम वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 260 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को साफ सुखे एवं खाली बर्तन में डालकर एक रुप कर चार साफ–सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर जार का मुंह ढक्कन की सहायता

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **W** 1226 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर चारो नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर सील मोहर कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 885 दिनांक 01.11.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 885 दिनांक 01.11.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मावा** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-01-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15-03-2023 को अभियुक्त **श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लालजी** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नही रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 885 दिनांक 01.11.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मावा** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया मावा विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लालजी निवासी शिवपुर, मल्हीपुर, सुल्तानपुर, उत्तरप्रदेश (विक्रेता/मालिक) मैसर्स महादेव मिष्ठान एण्ड डेयरी, पाटीदार मोहल्ला रतनपुर, आंजना तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा** को रूपये 20000/-- (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)